मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-5

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 29 फरवरी, 2008 (फाल्गुन 10, 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 20 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि अब प्रश्नों का द्वितीय चक्र शुरू होगा। पूर्व में अनुपस्थित माननीय सदस्यों के नाम क्रमशः पुकारे जाएंगे, अगर वे उपस्थित होंगे, तो अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकेंगे। द्वितीय चक्र में भी अनुपस्थितिवश और प्रश्न नहीं पूछे जा सके।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 42 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 66 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 10 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा उन्होंने प्रदान की है। ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी। तद्नुसार, निम्नलिखित सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की नगर पंचायत लहार (भिण्ड) में आर्थिक रूप से विपन्न लोगों के आवेदन पत्रों की स्वीकृति लंबित रहने,

(2) श्री छोटेलाल सरावगी (खुद्दी भैया), सदस्य की अनुपपुर जिले की पसान नगर पालिका में वित्तीय अनियमितता करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं किए जाने,

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल के नव बहार सब्जी मंडी में गंदगी का साम्राज्य होने,

(4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में चकबंदी निरस्त किये जाने,

(5) श्री बोध सिंह भगत, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम गुढ़वा तहसील सिरमौर में वार्डस् से बिना सर्वे के आधे-अधूरे राशन कार्ड बनाये जाने,

(6) श्री बहादुर सिंह, सदस्य की उज्जैन जिले सहित प्रदेश के अनेक जिलों में शीत लहर से फसलों को भयंकर क्षति पहुंचने,

(7) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य की राजगढ़ नगर खुजनेर रोड़ स्थित गांधी विहार कालोनी के पट्टों की शुल्क राशि जमा करने के उपरान्त भी पट्टों का आवंटन न होने,

(8) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की देवास स्थित गजरा बेबिल गियर्स लिमिटेड कम्पनी के बंद कारखाने को पुनः चालू कराने तथा मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान करवाये जाने,

(9) श्री हमीद काजी, सदस्य की सहकारी सूत मिल मर्यादित बहादुरपुर, बुरहानपुर के श्रमिकों/कर्मचारियों को वेतन, ग्रेज्युटी, छंटनी-मुआवजा आदि नहीं मिलने तथा

(10) श्री किशोर समरीते, सदस्य की लांजी क्षेत्र के लांजी तथा बहेला शाला भवन जीर्ण-शीर्ण होने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-65-2007-1-पांच (01), दिनांक 3 जनवरी, 2008,

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) (च) की अपेक्षानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश का मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद का प्रशासकीय प्रतिवेदन (द्वितीय) वर्ष 2006-2007,

(3) श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-39-04-सात-शा.-6, दिनांक 26 नवम्बर, 2007 तथा

(4) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के आरटीकल ऑफ एसोसियेशन की कंडिका 83 (बी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का षष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (दिनांक 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए)

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री ताराचंद बावरिया, सदस्य ने छिंदवाड़ा जिले के परासिया क्षेत्र में अवैध उत्खनन होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, खनिज साधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के मंऊगंज क्षेत्र में सिंचाई तालाबों का निर्माण कार्य अपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

5. संपत्ति विवरण को पटल पर रखना

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने उनकी संपत्ति का विवरण सदन के पटल पर रखा।

6. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री कैलाश चावला, सदस्य, द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2008 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं. "

(1) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने भाषण दिया।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष द्वारा यह कहते हुए कि उनके भाषण में कुछ सदस्यों द्वारा व्यवधान किया जा रहा है, सम्पूर्ण विपक्ष सहित सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने इस चर्चा का उत्तर दिया।

7. सदन के समय में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य पूरा होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाती है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(डॉ. सुनीलम, सदस्य द्वारा यह कहते हुए कि मुख्यमंत्री जी द्वारा किसान की कर्ज माफी तथा बिजली बिल माफी की बात भाषण में नहीं कही जा रही है, समाजवादी पार्टी के सदस्यों सहित बहिर्गमन किया)

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने अपना भाषण पूर्ण किया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।

कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(अपराह्न 2.06 बजे से 3.37 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई।

(अपराह्न 3.38 बजे से 3.47 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

8. अशासकीय संकल्प

(1) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रीवा से भोपाल एवं भोपाल से रीवा चलने वाली रेवांचल एक्सप्रेस को भोपाल जंक्शन के स्थान पर हबीबगंज रेल्वे स्टेशन से चलाई जाय."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री शंकरलाल तिवारी

(2) श्री इन्द्रजीत कुमार

श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने की व्यवस्था दिल्ली राज्य के समान लागू की जाय."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(2) डॉ. सुनीलम्
(3) श्री मनमोहन शाह "बट्टी"
(4) श्री इन्द्रजीत कुमार
(5) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष
(6) श्री लाल सिंह आर्य

श्रीमती रंजना बघेल, सामान्य प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष, श्री सज्जन सिंह वर्मा तथा श्री आरिफ अकील, सदस्यगण द्वारा संकल्प को पारित करने के पूर्व मत विभाजन की मांग की गई।

संकल्प को पारित करने के पक्ष में 7 मत प्राप्त हुए तथा विपक्ष में 19 मत प्राप्त हुए।

मत विभाजन से संकल्प अस्वीकृत हुआ।

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

"सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाय."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री आरिफ अकील
(2) श्री लाल सिंह आर्य
(3) डॉ. सुनीलम्
(4) श्री इन्द्रजीत कुमार

श्री तुकोजीराव पवार, खेल एवं युवक कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सदन की सहमति से यथा संशोधित संकल्प निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :-

"सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित सतगढ़ी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खेलग्राम व बाबेअली क्रिकेट स्टेडियम को राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के रूप में निर्मित किया जाय।"

यथा संशोधित संकल्प सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.46 बजे विधानसभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 3 मार्च, 2008 (फाल्गुन 13, 1929) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.